न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 124 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लिखमाराम पुत्र धनाराम जाति कुम्हार निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी		1. देवाराम पुत्र भलाराम 2. खेताराम पुत्र भलाराम जाति कलबी निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी 3. ढपीदेवी पत्नि लादूराम 4. ताजाराम पुत्र देराजराम 5. नरसाराम पुत्र सोनाराम 6. मूलाराम पुत्र सोनाराम 7. रावताराम पुत्र सोनाराम 8. अणदाराम पुत्र किरताराम 9. नाथूराम पुत्र किरताराम 10. भैराराम पुत्र किरताराम 11. लादुराम पुत्र किरताराम 12. हनुमानराम पुत्र किरताराम 13. हेमीदेवी पत्नि किरताराम 14. हिमताराम पुत्र किरताराम जाति कुम्हार निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 15. घेवरचन्द पुत्र वीरमाराम जाति सुथार निवासी मगजी की ढाणी बालोतरा 16. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:49:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

आदेश

दिनांक 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा डेरपाना के खेत खसरा संख्या 53/1 रकबा 0.6472 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 53/2 रकबा 2.7344 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माते या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा डेरपाना के खेत खसरा संख्या 53/1 रकबा 0.6472 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 53/2 रकबा 2.7344 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा डेरपाना के खेत खसरा संख्या 53/1 रकबा 0.6472 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 53/2 रकबा 2.7344 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा डेरपाना के खेत खसरा संख्या 53/1 रकबा 0.6472 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 53/2 रकबा 2.7344 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन [illegible] तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी [illegible] मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा डेरपाना के खेत खसरा संख्या 53/1 रकबा [illegible]472 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 53/2 रकबा 2.7344 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:49:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह मौजा डेरपाना के खेत खसरा संख्या 53/1 रकबा 0.6472 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 53/2 रकबा 2.7344 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:49:25 IST
Reason: SelfAttested